



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 2019/माघ 16, 1940
No. 43] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2019/MAGHA 16, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2019

फा. सं. 11023/24/2017-क्यूए.—कतिपय विनियमों में आगे संशोधन हेतु खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011, जिसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदन के साथ निम्न प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करता है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की उप-धारा (1) के माध्यम से अपेक्षितानुसार, एतद्वारा प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को जानकारी और सूचना देते हैं कि कथित प्रारूप विनियम पर इस अधिसूचना जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात, विचार किया जाएगा।

आपत्ति अथवा सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य एवं औषध प्रशासन, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं;

आपत्ति और सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त किए जाएंगे, उपरोक्त निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, खाद्य प्राधिकरण द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) संशोधन विनियम, 2019 है।
(2) ये विनियम राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 में,-
(1) विनियम 2.1 के उप-विनियम 2.1.1 और उसके नीचे सारणी की जगह निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
“2.1.1 किसी आयातित वस्तु का नमूना प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किसी प्रयोगशाला के खाद्य विश्लेषक को विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा।”

(2) विनियम 2.2 के उप-विनियम 2.2.2 और उसके नीचे सारणी की जगह निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“2.2.2 राज्य/संघ शासित क्षेत्र रेफरल प्रयोगशाला

खाद्य प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(2) के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित रेफरल प्रयोगशाला के कार्य करने के लिए प्रयोगशालाओं को प्राधिकृत करेगी।”

(3) विनियम 2.3 में, खंड 3 की जगह निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“खाद्य नमूने के ऐसे परीक्षण या विश्लेषण के लिए संदेय फीस खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निर्धारित के अनुसार होगी।”

[फा. सं. 11023/24/2017-क्यूए]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नोट : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या फा. सं. 2-15015/30/2010, दिनांक 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती निम्न अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए:-

- (i) फा. सं. 3/15015/30/2011, दिनांक 21 दिसंबर, 2011 और
- (ii) फा. सं. 4/15015/30/2011, दिनांक 8 फरवरी, 2013।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2019

F.No. 11023/24/2017-QA.—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred under section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in.

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of period so specified, will be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

1. **Short title and commencement**-(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Regulations, 2011,

(I) in regulation 2.1, for sub-regulation 2.1.1 and table thereunder, the following shall be substituted namely:-

“2.1.1 The sample of any imported article will be sent by the Authorized Officer for analysis to the Food Analyst of any of the laboratories notified by Food Authority under section 43(1) of Food Safety and Standards Act, 2006.”

(II) in regulation 2.2, for sub-regulation 2.2.2 along with table thereunder, the following shall be substituted namely:-

“2.2.2 State/Union Territory of Referral Laboratory

The Food authority shall authorize laboratories to carry out function of referral laboratory that are notified by Food Authority under section 43(2) of Food Safety and Standards Act, 2006.”

(III) in regulation 2.3, Clause 3 shall be substituted namely:-

“3. The fees payable for such test or analysis of sample of food shall be as prescribed by the Food Authority from time to time.”.

[F.No.11023/24/2017-QA]

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:

- (i) F. No. 3/15015/30/2011 dated 21st December, 2011 and
- (ii) F. No. 4/15015/30/2011, dated 8th February, 2013.